[illegible]यालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

[illegible]/315

[illegible] आयु 25 साल आत्मज बिहारी लाल जाति मीणा निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. घनश्याम आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा निवासी अडीला जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. भूली बाई पत्नी घनश्याम
   1/2. गीता बाई पुत्री घनश्याम पत्नी मुकेश जातियान मीणा निवासीयान हथाई का मोहल्ला अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. बिहारी लाल आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा निवासी अडीला जिला बून्दी ।
3. गोमदी बाई पत्नी जगन्नाथ जाति मीणा निवासी अडीला जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायम मुकामान :– प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पूर्व में ही रिकॉर्ड पर हैं ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अजय जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजसिंह गौड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1/1 एवं 1/2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 14.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद अधिकार घोषणा एवं कब्जा प्राप्ति व स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की कुल 04 किता की कुल रकबा 1.32 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी क्रम 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वसीयतनामा दिनांक 02.06.2004 के अनुसार वादी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 से 3 को उक्त भूमि पर से राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 07.07.2004 से दर्ज नाम को शून्य घोषित किया जाकर वादी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया जावे ।

काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी का वाद खारिज करने एवं करने का निवेदन किया ।

ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2016 के द्वारा दावा एवं जवाबदावा वाद–विवादक बिन्दु कायम कर वादी का वाद एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज कर दिये ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट वादी के दादा व रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 क पिता जगन्नाथ आत्मज नन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम अडीला की स्वअर्जित कृषि भूमि है जिसे जगन्नाथ द्वारा दिनांक 03.07.1965 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी तथा क्रय के बाद से जीवन पर्यन्त काबिज काश्त करते चले आ रहे थे । जगन्नाथ जी अपीलान्ट के पास निवास करते थे उन्होंने अपीलान्ट की सेवा से खुश होकर दिनांक 02.06.2004 को वादी के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित कर पंजीयन करवाया था और दिनांक 10.06.2004 को जगन्नाथ जी का देहान्त हो गया । जगन्नाथ जी का स्वर्गवास होने के बाद वसीयत दिनांक 02.06.2004 के अनुसार वादी उक्त भूमि का वसीयत के आधार पर एक मात्र स्वामी हो गया । रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 07.07.2004 से दर्ज करवा लिया जो शून्य है व वादी अपीलान्ट के हितों के विरूद्ध बेअसर है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में तनकीयात कायम की गई थी जिन पर वादी अपीलान्ट द्वारा गवाह, बयान एवं अन्य साक्ष्य दस्तावेज आदि पेश किये गये थे और प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य आदि पेश नहीं किया गया इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेखित किया है कि सक्षम सिविल न्यायालय से वसीयत के सम्बन्ध में प्राविट नहीं करवाया है बिना प्रवोट के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते । श्री जगन्नाथ जी द्वारा अपने ब्लड रिलेशन पुत्र के पुत्र के नाम वसीयत की है जिसको कानूनन सिविल न्यायालय से प्रोवेट प्रापत करने का कानूनन कोई प्रयोजन नहीं है । अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित गवाह व अन्य साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत की है जिससे न्यायालय द्वारा वसीयत का निष्पादन होना माना है इसके उपरान्त भी उक्त निर्णय पारित कर दिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2016 निरस्त फरमाया जावे तथा वादी अपीलान्ट का वाद स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में वाद डिक्री किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादी

न्यायालय में वसीयत को साबित नहीं करवाया है । वादी अपीलान्ट ने सक्षम सिविल न्यायालय से प्रोवेट नहीं करवाया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक बहाल रखा जावे ।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जिस भूमि के सम्बन्ध में वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है उसमें आराजी खसरा नम्बर 456 की भूमि रेस्पोडेन्ट कम 03 के पक्ष में वसीयत की हुई है जिसकी मृत्यु हो चुकी है । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने उक्त वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से प्रोवेट भी नहीं करवाया है ।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं 28.03.2016 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/315

सदानन्द आयु 25 साल आत्मज बिहारी लाल जाति मीणा निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. घनश्याम आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा निवासी अडीला जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. भूली बाई पत्नी घनश्याम
   1/2. गीता बाई पुत्री घनश्याम पत्नी मुकेश जातियान मीणा निवासीयान हथाई का मोहल्ला अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. बिहारी लाल आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा निवासी अडीला जिला बून्दी ।
3. गोमदी बाई पत्नी जगन्नाथ जाति मीणा निवासी अडीला जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायम मुकामान :— प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पूर्व में ही रिकॉर्ड पर हैं ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 91/दावा/2005

सदानन्द आयु 25 साल आत्मज बिहारी लाल जाति मीणा निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

[illegible] जिला बून्दी (मृतक) जरिये
आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा निवासी अडीला जिला बून्दी (मृतक) जरिये
कायम मुकामान:-
1. फूली बाई पत्नी घनश्याम
2. गीता बाई पुत्री घनश्याम पत्नी मुकेश जातियान मीणा निवासीयान हथाई का मोहल्ला अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

2. बिहारी लाल आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा निवासी अडीला जिला बून्दी ।
3. गोमदी बाई पत्नी जगन्नाथ जाति मीणा निवासी अडीला जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायम मुकामान :– प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पूर्व में ही रिकॉर्ड पर हैं ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.03.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.02.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री अजय जैन एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री तेजसिंह गौड के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं 28.03.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिकी आज तारीख 14.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा